ग्रामीण सेवा शिविर 2025, ग्राम पंचायत 29 जीबी शिवपुरी

फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

प्रधुमन सिंह राठौड़ बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर 426 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/539

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
18.10.2025	प्रार्थी की ओर से ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 26 जीबी खाता सं. 41 में दर्ज प्रार्थी के नाम प्रध्यूमन सिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मण सिंह को दुरूस्त कर प्रधुमन सिंह राठौड़ पुत्र कुलदीप सिंह राठौड़ दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत कर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअनि के दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबंदी चक 26 जीबी खाता सं. 41 में भूमि प्रध्यूमन सिंह दत्तक पुत्र लक्षमण सिंह के नाम से खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान एवं शैक्षणिक दस्तावेजों यथा आधार कार्ड एवं अंक विवरणिका सीनियम स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 2017 आदि में नाम प्रधुमन सिह राठौड़ पुत्र कुलदीप सिंह राठौड़ अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार फर्द मौका में अंकित है कि प्रार्थी ने बताया कि उसके जन्मदाता का नाम कुलदीप सिंह है। नामान्तरकरण चक 26 जीबी नाम. सं. 162 के द्वारा भूमि वसीयत के आधार पपर किशन कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह से प्रध्यूमन सिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मण सिंह के नाम से दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा शुद्धि किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में 100 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी द्वारा अंकित किया गया है कि भूमि उन्हें जरिये वसीयत अपने पिता कुलदीप सिंह राठौड़ की ताई किशन तंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह से प्राप्त हुई है। प्रार्थी की ओर से वसीयत पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है ना ही यह प्रमाणित किया है कि वे लक्ष्मण सिंह के दत्तक नहीं गये। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय किसी प्रकार की त्रुटिकारित की गई जो जिसका संशोधन आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

उपखण्ड अधिकारी एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:15:02 IST
Reason: SelfAttested